सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **14 / 2019** अपील (राजस्व)

1. श्री धुला पिता देवा जी बलाई, निवासी कोट तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री परता पिता श्री नाथू जी ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील बनाराजगी निर्णय श्री न्यायालय उप तहसीलदार कुराबड, बनामान्तरण संख्या 358 दिनांक 23.02.2016

उपस्थित : श्री कन्हैयालाल चौर्डिया, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कैलाश नागदा अधिवक्ता वि.सं. 1
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—24.09.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार कुराबड के निर्णय दिनांक 23.02.2016 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तरकरण खोलने से पूर्व उन्हे इस बात की जानकारी थी कि उक्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा अपील सं. 5789 / 15 दिनांक 27.10.15 से स्थगन जारी है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय स्वयं भी रेस्पोडेन्ट हैं। उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 जो कि धनाढ्य व्यक्ति है उससे दुरभिसन्धी कर नामान्तरकरण निर्णय कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तकरण स्थगन के दौरान अपीलार्थी को बिना सुने खोला गया

है। उक्त खोले गये नामान्तकरण के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में विचाराधीन है। अतः उक्त अपीलीय नामान्तरकरण खारीज फरमाया जावें।

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त गलत नामान्तरकरण का ज्ञान पटवारी हल्का से दिनांक 06.02.19 को हुआ। जिसकी नकल प्राप्त कर बिना कोई देरी व चूक किये अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए अपील को मयाद में लिवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट सं.1 द्वारा धारा 5 प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को शुरू से ही इस नामान्तकरण की जानकारी थी। अपने प्रार्थनापत्र में जो भी कथन किये गये है वह सारे कथन मात्र अपील को मयाद में लाने के लिए मनगढंत आधार पर किये गये है। वर्तमान में राजस्व मण्डल में अपील पेण्डिंग है। लेकिन जिस दिन नामान्तकरण पारित किया गया है उस दिन स्थगन की जानकारी रेस्पोडेन्ट को नहीं थी। परन्तु यह सही है कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी होते हुए भी समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की गई। न मियाद के लिए कोई संतोषप्रद कारण बताया गया है। इसलिए अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारीज फरमाया जाये।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 27.10.15 के प्रभावी होते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 से दुरभिसन्धी करते हुए प्रमाणित कर दिया गया। जबकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय पक्षकार संयोजित होकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तरकरण अपीलान्ट को बिना सुने खोला गया है। दौराने स्थगन खोला गया नामान्तरकरण एक अन्यायपूर्ण दुष्कृत्य किया गया है। जो प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया गया कि बिना पक्षकारानों को सुने कोई नामान्तरकरण

खोला जाता है तो वह कानूनन अमान्य होता है। ऐसे गलत व फर्जी नामान्तकरण की अपील किये जाने में कोई मयाद ही नहीं हो सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जाये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.1 द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा जिस नामान्तरकरण की अपील की गई है उसका ज्ञान अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही था। परन्तु रेस्पोडेन्ट को स्थगन का ज्ञान नहीं था। अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी होते हुए भी समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की गई एवं अपने मियाद के लिए कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय के निर्णय की पालना में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में यह कहना नितान्त गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुरभिसन्धी कर गलत नामान्तकरण खोला गया है। यह लिखना ही न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी अपील को मियाद के आधार पर खारीज फरमायी जाये। अपने कथनो की ताईद में 2011(1)आरआरटी पेज 421 का दृष्टांत प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस पर मनन उपरान्त न्यायालय का मत है कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने नामान्तकरण पारित किया गया है। बिना सुने पारित किये गये नामान्तकरण की अपील किये जाने में कोई मियाद नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलीय नामान्तकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के प्र.सं.11/12 डिक्री की अनुपालना में खोला गया। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के प्र.सं. 5789/15 उदयपुर में न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.10.15 से स्थगन आदेश प्रदान किया गया था। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने आदेश में साफ लिखा है कि '' स्थगन बाबत आदेश दिये जाते है कि राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर को लिखा जावे कि उनके आदेश दिनांक 26.08.15 की पालना स्थगित रखी जाती

है''। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के प्र.सं. 5789/15 की आदेशिकाओं की छायाप्रतियां संलग्न पत्रावली है, का अवलोकन किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.10.15 को किसी भी आगामी तारीख पेशियों में स्थगित नहीं किया गया है यानिकी दिनांक 04.07.18 तक उक्त स्थगन आदेश दिनांक 27.10.15 का प्रभावी था। जबकि अपीलीय नामान्तकरण दिनांक 23.02.16 को उप तहसीलदार कुराबड द्वारा निर्णित किया गया है। यानि की अपीलीय नामान्तकरण दौराने स्थगन फैसल किया गया है। जबकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत अपील में राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार गिर्वा भी रेस्पोडेन्ट सं. 2 के रूप में पक्षकार संयोजित था।

अतः प्रकरण में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार कुराबड द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 358 दिनांक 23.02.16 को स्थगन आदेश के प्रभावी रहते खोले जाने से निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार कुराबड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर,
उदयपुर